

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

179 सहाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री लादु लाल पितलिया (नाम)

नाथडियास पो. नाथडियास त. रायपुर जिला भीलवाडा (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : भीलवाड़ा

दिनांक : 03 / 12 / 2023



(राजेश सुवालका)

रिटर्निंग अधिकारी

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापूर)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (179) सहाड़ा

(राजेश सुवालका)

रिटर्निंग अधिकारी

(एस.डी.ओ. & एस.डी.एम. गंगापूर)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(179) सहाड़ा

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)
Declaration of the result of Election under section of the Representation of the
People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 179 SAHARA
Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of
the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,
I declare that—

Shri LADU LAL PITLIYA (Name)

NATHDIYAS PO. NATHDIYAS T. RAIPUR ZILA BHILWARA (Address)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized/registered
political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above
constituency.

Place: Bhilwara

Dated: 03 / 12 / 2023



(RAJESH SUWALKA)

Returning Officer

(Sub Divisional Officer &

Sub Divisional Magistrate, Gangapur)

Assembly constituency (179) Sahara

(राजेश सुवालका)

रिटर्निंग अधिकारी

(एस.डी.ओ. & एस.डी.एम. गंगपुर)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(179) सहाड़ा